संख्या: 61/2017/3219/12-2-2017-60(6)/2017 टी0सी0-11

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 02 सितम्बर, 2017

विषय: प्रदेश के पात्र/अर्ह लघु एवं सीमान्त कृषकों को ऋण मोचन प्रमाण पत्र वितरित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या: 50/2017/2513/12-2-2017-60(6)/2017 टी0सी0-11 दिनांक 21 अगस्त, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके प्रस्तर-1 में जनपद स्तर पर कैम्प के आयोजन की तिथि 05 सितम्बर, 2017 रखे जाने के निर्देश दिये गये थे।

2. सम्यक विचारोपरान्त जनपद स्तर पर कैम्प के आयोजन की तिथि 05 सितम्बर, 2017 के स्थान पर 09 सितम्बर, 2017 से 11 सितम्बर, 2017 के मध्य रखे जाने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 08 सितम्बर, 2017 को आयोजित होने वाले कैम्प की तिथि यथावत रहेगी।

3. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि दिनांक 09 सितम्बर, 2017 से 11 सितम्बर, 2017 के मध्य आयोजित होने वाले कैम्पों हेतु प्रभारी मंत्रीगणों के साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा मा0 मंत्रीगण/मा0 सांसदगण/मा0 विधायकगण को भी आवश्यक रूप से आमंत्रित करते हुए उनकी सुविधानुसार तिथि निर्धारित की जाये।

4. शासनादेश संख्या: 50/2017/2513/12-2-2017-60(6)/2017 टी0सी0-11 दिनांक 21 अगस्त, 2017 के शेष प्रस्तर यथावत विद्यमान रहेंगें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 61/2017/3219/12-2-2017 तददिनांक।

1. कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सादर अवलोकनार्थ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, लखनऊ।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।